प्रकरण संख्या 9/2012 शम्भूडा बनाम पूजा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2018	वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा वकील अपीलान्ट की सुनी गयी बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 4 तनकियात कायम की गयी हैं तथा उभयपक्षों की पेश शुदा शहादत के बाद आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है, जो जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन होने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31.10.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 9／2012 शम्भूडा बनाम पूजा

प्रकरण संख्या 9/2012 शम्भूडा बनाम पूजा